उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0आर0 नं0–15/2021–22

मु0 तफज्जूल एवं अन्य

बनाम्

शेख अब्दुल वगै0

–: आदेश :–

दिनांक

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान रिविजन वाद की प्रक्रिया रिविजनकर्त्तागण मु0 तफज्जूल, पे0–मोजाहीर वो मु0 सलीम, पे0–शेख सिद्दिक, सा0–फाजिल खूटहरी, अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा के रिविजन आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। रिविजनकर्त्तागण ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के मुटेशन अपील वाद संख्या–01/2017–18 के आदेश दिनांक–16.03.2021 के विरूद्ध रिविजन वाद दायर किया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा ने मुटेशन अपील वाद संख्या–01/2017–18 आदेश दिनांक–16.03.2021 के द्वारा अंचल अधिकारी, मेहरमा के दाखिल खारिज वाद संख्या–22/2003–04 में दिनांक–18.07.2003 के पारित आदेश को रद्द किया है तथा उत्तरवादी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया है।

रिविजनकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा– दिघी नं0–74 तौजी नं0–503 जमाबंदी सं0–22 दाग नं0–64, 89, 103, 191, 582, 583 कुल रकवा 24–04–02 धुर, मौजा–मालझखरा नं0–81 जमाबंदी सं0–09 दाग नं0–73 रकवा 06–08–12 धुर, मौजा–सुखाड़ी नं0–36 जमाबंदी सं0–30 दाग नं0–437, 492, 501, 505 कुल रकवा 08–15–18 धुर, मौजा–कुमरडोय नं0–73 जमाबंदी सं0–15 दाग नं0–284 रकवा 15–01–03 धुर एवं मौजा–फाजिल खुटहरी नं0–37 जमाबंदी सं0–21 दाग नं0–39, 64, 69, 76, 88, 91, 99, 129, 138, 21, 87, 61 रकवा 22–00–13 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शेख जमतल्ली, पे0–शेख मोसाहेब के नाम से दर्ज है। गत जमाबंदी शेख जमतल्ली का वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है :–

शेख जमतल्ली(ज0रै0)

शेख अमीर — शेख लाल मोहम्मद — शेख खुशन

शेख हनीफ — शेख गफूर — शेख सिद्दिक — मु0 सबीर

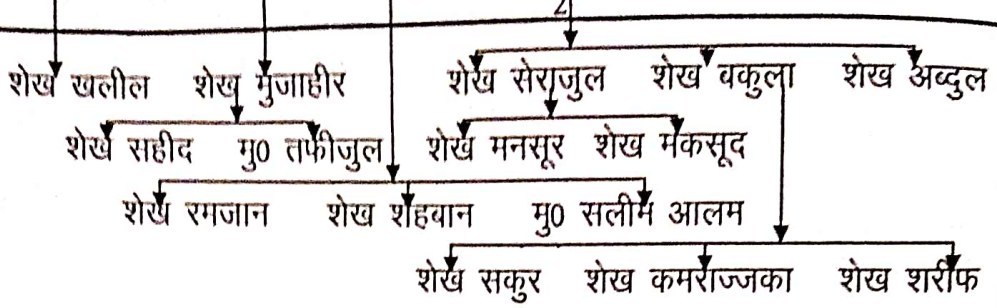

उनका आगे कहना है कि उपरोक्त वंशावली से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष गत जमाबंदी रैयत के वंशज है। गत जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके तीन पुत्रों ने तीन बराबर भागों में उक्त जमीन को विभाजित कर आपसी बँटवारा कर लिया तथा बँटवारानामा को कानूनी रूप देने के लिए निबंधन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष बँटवारा दस्तावेज संख्या–547 दिनांक–11.06.1953 तैयार किया गया है और उक्त बँटवारानामा के अनुसार गत जमाबंदी रैयत के तीनों पुत्र अपने–अपने हिस्से की जमीन पर दखलकार हुए एवं लगान का भुगतान करते रहे हैं। उनका आगे कथन है कि रिविजनकर्त्तागण के द्वारा सिर्फ मौजा–सुखाड़ी, मौजा–कुमरडोय एवं मौजा–फाजिल खुटहरी की जमीन का नामांतरण के लिए आवेदन दिया गया था। मौजा–दिघी एवं मौजा–मालझखरा के जमीन को अलग रखा गया था। लेकिन उत्तरवादी ने अंचल अधिकारी, मेहरमा के नामांतरण आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के न्यायालय में यह कहकर अपील वाद दायर किया गया कि उसके हिस्से की जमीन का भी नामांतरण किया गया है। जबकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि बँटवारानामा के निबंधित होने के बाद वर्ष 1953 ई0 में जमाबंदी रैयत शेख जमतल्ली के ज्येष्ठ पुत्र ने मौजा–फाजिल खुटहरी के दाग नं0–91 की जमीन अपने दूसरे भाई शेख लाल मोहम्मद को दाग नं0–21 एवं 69 की जमीन के बदले में दिया था। इस प्रकार रिविजनकर्त्तागण के द्वारा अपने हिस्से की जमीन का नामांतरण कराया गया था। लेकिन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के द्वारा गलत तरीके से नामांतरण आदेश रद्द किया गया है। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिविजन आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि रिविजनकर्त्तागण के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि गत जमाबंदी रैयत शेख जमतल्ली की जमीन का आपसी बँटवारा कर लिया गया है एवं बँटवारानामा दस्तावेज सं0–547 दिनांक–11.05.1953 के अनुसार सभी पक्ष

अपने–अपने हिस्से की जमीन पर दखलकार है तथा बिना किसी रुकावट का सरकार को लगान का भुगतान कर लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। उनका आगे कथन है कि रिविजनकर्त्तागण शेख अमीर अली के वंशज है। इसलिए रिविजनकर्त्तागण को शेख अमीर अली के हिस्से की जमीन पर सीमित रहना चाहिए था। लेकिन रिविजनकर्त्तागण ने उत्तरवादी की हिस्से की जमीन का भी नामांतरण कराया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय ने अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा की गयी नामांतरण को रद्द किया है। अतएव निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए रिविजनकर्त्तागण के रिविजन आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–फाजिल खुटहरी के जमाबंदी सं0–21 के अन्तर्गत दाग नं0–69 की जमीन को लेकर विवाद है। उत्तरवादी का कथन है कि उक्त दाग नं0–69 के अन्तर्गत उत्तरवादी के हिस्से की जमीन का भी नामांतरण अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा किया गया था। गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के अनुसार उक्त दाग नं0–69 का कुल रकवा 01–14–18 धुर किस्म बाड़ी औवल कहकर दर्ज है। जबकि बँटवारानामा के अनुसार शेख अमीर जो रिविजनकर्त्तागण के पूर्वज है, को रकवा 00–17–09 धुर जमीन हिस्से में प्राप्त है। लेकिन अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा दाग नं0–69 में ब टवारा से प्राप्त अधिक जमीन रिविजनकर्त्तागण के नाम से नामांतरण किया गया है। इससे स्पष्ट है कि बँटवारा के अनुसार जमीन का नामांतरण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त नामांतरण को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के द्वारा रद्द किया जाना नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के मुटेशन अपील वाद संख्या–01/17–18 के पारित आदेश दिनांक–16.03.2021 को बरकरार रखते हुए रिविजनकर्त्तागण के रिविजन आवेदन को खारिज किया जाता है। अभिलेख जिला अभिलेखागार, गोड्डा में जमा करें।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 18:13:48 +05:30
Location: 192.168.29.8

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Seen 8/6/20..

DB No-2
08.06.